# *राजस्थान–सरकार*
# *कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राज.*
# *"कर–भवन" अजमेर*

राजस्थान राज्य में दस्तावेज लेखन के लिये अनुज्ञा–पत्र जारी करने हेतु राजस्थान रजिस्ट्रेशन (लाईसेन्सिंग ऑफ डॉक्यूमेन्ट राईटर्स) रूल्स, 1956 बने हुये है। इन नियमों में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत दस्तावेज लेखन के लिये अनुज्ञा–पत्र जारी किय जाते है जिनका विवरण निम्न प्रकार है :–

1. दस्तावेज लेखन के लिये अनुज्ञा–पत्र जारी करने की शक्तियॉ जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक में निहित है। (**नियम–3**)

2. समस्त जिलों, उपखण्ड एवं तहसील स्तर पर डीडराईटर्स की संख्या का निर्धारण जिला पंजीयक द्वारा महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग की सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर किया जायेगा। (**नियम–3ए**)

3. डीडराईटर्स के अनुज्ञा–पत्र लेने हेतु निम्नलिखित योग्यताएं आवश्यक है :– (**नियम–4**)
   - i. आवेदक 18 व र्ा से कम आयु का नहीं होना चाहिए।
   - ii. आवेदक का चरित्र उत्तम होना चाहिये।
   - iii. आवेदक उच्च माध्यमिक स्कूल परीक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

4. अनुज्ञा–पत्र जारी करने के लिये प्रक्रिया :– (**नियम–5**)
   - i. परीक्षा का आयोजन प्रत्येक दो कैलेण्डर व र्ा में एक बार किये जाने का प्रावधान है।
   - ii. परीक्षा हेतु विज्ञप्ति का प्रकाशन दो राज्य स्तरीय अखबारों में दिया जायेगा, जिसका वितरण संबंधित जिले में हो, प्रावधान है।
   - iii. आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र–बी में आवेदन पत्र विज्ञप्ति के प्रकाशन के 15 दिवस में मॉगने का प्रावधान है। आवेदन पत्र के साथ 100 रूपये फीस के रूप में भारतीय पोस्टल ऑर्डर, डिमाण्ड–ड्राफ्ट अथवा नगद लिये जाने का प्रावधान है।
   - iv. जिला पंजीयक द्वारा जारी किये गये प्रवेश–पत्र के आधार पर परीक्षा में बैठने का प्रावधान है।
   - v. योग्य उम्मीदवारों का ज्ञान निम्नलिखित नियमों/अधिनियमों के संबंध में कितना है, के लिये परीक्षा का आयोजन किया जायेगा :–
     - a. राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 एवं राजस्थान पंजीयन नियम, 2004।
     - b. पंजीयन अधिनियम, 1908 एवं राजस्थान पंजीयन नियम, 1955।
     - c. दस्तावेज लेखन का ज्ञान।
   - vi. उपरोक्त उल्लेखित विषयों में से प्रश्न–पत्र तैयार किये जाने का प्रावधान है। परीक्षार्थी को प्रश्न–पत्र का उत्तर देने के लिये 3 घंटे का समय दिये जाने का प्रावधान है। परीक्षा में अधिकतम अंक 100 एवं न्यूनतम अंक 40 निर्धारित है।
   - vii. उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार उत्तीर्ण उम्मीदवारों की मैरिट लिस्ट जिला पंजीयक द्वारा तैयार किये जाने का प्रावधान है।
   - viii. रिक्तयों के अनुसार मैरिट में आने वाले उम्मीदवार को प्रपत्र–ए में अनुज्ञा–पत्र जारी किये जाने का प्रावधान है।

"कर भवन", द्वितीय तल, टोडरमल मार्ग, अजमेर 305001 (राज.),
फो. : 0145–2627590, 2425105 फैक्स 2431002, 2627750 ई–मेल igrs@rajasthan.gov.in
वेबसाईट : http:/igrs.rajasthan.gov.in

ix. परीक्षा आयोजन पर होने वाला व्यय नियम–3 के अनुसार प्राप्त फीस में से किये जाने का प्रावधान है।

x. जिला पंजीयक द्वारा डीडराईटर्स की परीक्षा आयोजन के लिये अतिरिक्त जिला कलक्टर के स्तर के अधिकारी को प्रभारी नियुक्त किये जाने का प्रावधान है।

5. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी डीडराईर द्वारा प्रतिवर्ष 1 जनवरी को 100/– रूपये फीस अग्रिम जमा कराने का प्रावधान है।

6. दस्तावेज लेखन की दरें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। (**नियम–7**)

7. डीडराईटर्स को उसके द्वारा लिखे गये दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर, अनुज्ञा–पत्र संख्या एवं ली गई लेखन फीस का आवश्यक रूप से उल्लेख करने का प्रावधान है। (**नियम–8**)

8. प्रत्येक डीडराईटर उसके द्वारा लिखे गये दस्तावेजों का एक रजिस्टर निर्धारित प्रारूप में संधारित करने का प्रावधान है। (**नियम–9**)

9. जिला पंजीयक, उप पंजीयक एवं संबंधित उप महानिरीक्षक द्वारा चाहे जाने पर डीडराईटर्स को अपना अनुज्ञा–पत्र उन्हें समपर्ण करने का प्रावधान है। (**नियम–10**)

10. निम्नलिखित आधारों पर डीडराइटर्स को जारी अनुज्ञा–पत्र निरस्त किये जाने का प्रावधान है :– (**नियम–11**)

i. अनुज्ञा–पत्र के लिये देय निर्धारित फीस अदा नहीं की गई हो।

ii. डीडराईटर्स द्वारा एड़वोकट की योग्यता धारित कर ली गई हो।

iii. डीडराईटर्स नियमित रूप से अनुज्ञेय स्थान पर बैठकर कार्य नहीं करता हो।

iv. डीडराईटर्स को किसी आपराधिक प्रकरण में सजा हुई हो।

v. डीडराईटर्स किसी अवैधानिक संव्यवहार में लिप्त पाया गया हो।

vi. डीडराईटर्स द्वारा योग्यता अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा हो।

vii. नियमों के अन्तर्गत जारी किसी आदेश की अवहेलना की गई हो।

11. प्रत्येक जिला पंजीयक द्वारा जारी किये जाने वाले डीडराईटर के अनुज्ञा पत्रों की पंजिका जिसमें डीडराईटर का नाम अनुज्ञा पत्र जारी करने की दिनांक जिला अदा की गई फीस का इन्द्राज करने का प्रावधान है। इस पंजिका की एक प्रति उप पंजीयक कार्यालय में भी रखने का प्रावधान है। (**नियम 12**)

12. ऐसा कोई भी डीडराईटर जो अनुज्ञापत्रधारी नहीं है, वह पंजीयन कार्यालय के परिसर में बैठकर डीडराईटर का कार्य नहीं करेगा का प्रावधान है। (**नियम 13**)

13. जिला पंजीयक द्वारा डीडराईटर के आवेदन पर विचार करकें, अन्य पंजीयन कार्यालयों में डीडराईटिंग का कार्य करने के लिये अनुज्ञापत्र स्थानान्तरित करने का प्रावधान है। (**नियम 14**)